मोर जमीन मोर मकान के हितग्राही अपना ओ.टी.पी. अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करना है

भिलाईनगर। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओ में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। जिसमे बीएलसी (मोर जमीन–मोर मकान) योजना के तहत शासन से प्राप्त दिशा–निर्देश अनुसार प्राप्त आवेदनों का आनलाईन एन्ट्री प्रधानमंत्री आवास योजना के वेब यनिफाइड पोर्टल में किया जाना है। आनलाईन एन्ट्री में आवेदक के मोबाइल में ओटीपी आता है। आनलाईन एन्ट्री की प्रक्रिया निगम कार्यालयध्अनुबंधित वास्तुविद के माध्यम से किया जा रहा है। आवेदक के मोबाईल पर प्राप्त ओ. टी.पी. आनलाईन एन्ट्री करने वाले निगम के कर्मचारी को ही देवे। जो आपके घर में आकर फार्म भरवारा है आप उसको जानते हैं उसी को देना है। किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को ना देवें। जिससे वह गोपनीय जानकारी का दुरूपयोग न कर सकें, किसी अन्य व्यक्ति को ओ.टी.पी. साझा करने से आप फ्राड के शिकार हो सकते है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी नागरिकों से अपील की है कि शासन प्रशासन द्वारा बार–बार सूचना दी जा रही है। समाचार पत्रों मोबाइल में भी जानकारी आ रही है। अपनी ओटीपी या बैंक संबंधी किसी प्रकार के डिटेल किसी भी व्यक्ति को ना दे, फोन पर जानकारी कभी ना दे, संबंधित व्यक्ति को जानने के बाद ही जानकारी साझा करें। किसी प्रकार की संदेह होने पर आप निगम के संबंधित विभाग एवं अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते है। आनलाईन एन्ट्री की प्रक्रिया निःशुल्क है। आनलाईन एन्ट्री में आवेदक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित) एवं भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 03 प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में संपर्क कर सकते है।